



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - गृ-प्रबंध)

फ़ोन: 0771 - 2552233

ई - मेल: apeef-lm.cg@gov.in

रायपुर, दिनांक 19/01/2024

प्रति:
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना “भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2” के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बीजापुर जिला के इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि रकबा 5.880 हेक्टेएक्ट (एक्ट) के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत उपयोग पर देने बाबत।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/45471/2020

- संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2023/10-2 दिनांक 27/12/2023
2. उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर का पत्र क्रमांक/ 173 दिनांक 17.01.2024

* * * *

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा बीजापुर जिले के बीजापुर वन मण्डल के इन्द्रावती टायगर रिजर्व अन्तर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए चिप्स को 5.880 हेक्टेएक्ट के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर से संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-1
2.	<p>(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रक्या 5.880 है, वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वनमंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरांडाबाजार में 5.880 है, तथा ग्राम भलेसर में 10.802 है, कुल 16.682 है। राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।</p> <p>(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।</p>	<p>(अ) उक्त के पालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा कराया जायेगा। शर्त मान्य है।</p> <p>(ब) उक्त के पालन में 6 माह के पूर्व गैर वन भूमि को आरक्षित वन भूमि के रूप में वन विभाग द्वारा अधिसूचित करा लिया जावेगा। शर्त मान्य है। अनुसंलग्नक-2</p>

3.	<p>उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।</p>	<p>उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 56,83,996.00/- कैम्पा मद चालान की प्रति संलग्न हेतु अनुसंलग्नक-3</p>
4.	<p>(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।</p> <p>(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>(अ) उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कैम्पा मद में जमा किया गया है पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न हेतु अनुसंलग्नक-4 (अ)</p> <p>(ब) आवेदक संस्थान को शर्त है, वचन पत्र संलग्न है अनुलग्नक-4 (ब)</p>
5.	<p>परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।</p>	<p>उक्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रूपये 56,83,996.00 एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रूपये 8,61,48,548.00 कुल 9,18,32,544.00/- रूपये कैम्पा मद में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु चालान की प्रति संलग्न हेतु अनुसंलग्नक-5</p>
6.	<p>प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-6</p>
7.	<p>ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृद्धा नहीं काटे जायेंगे।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-7</p>
8.	<p>उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायरसिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्नि को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मरीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलोरा एवं फैना तथा Regeneration को क्षति न हो।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-8</p>

9.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उपनिदेशक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से रूपयेति किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-9
10.	उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-10
11.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग / रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-11
12.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-12
13.	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-13
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-14
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मात्ता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-15
16.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt)] दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित / अधिरोपित समस्त शर्त लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-16
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-17
18.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, पन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-18

19.	<p>क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-19</p>
20.	<p>आवेदक संस्थान द्वारा विषयांकित प्रकरण में 5.777 है। वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। शेष रकम (5.880 है। - 5.777 है = 0.103 है) हेतु कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रदाय करेगा।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-20</p>
21.	<p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-21</p>
22.	<p>सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-22</p>
23.	<p>संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-23</p>
24.	<p>मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पढ़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-24</p>
25.	<p>आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-25</p>
26.	<p>कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-26</p>
27.	<p>आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन मूनिको किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-27</p>
28.	<p>Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-28</p>
29.	<p>Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुसंलग्नक-29</p>

30.	No labor camp should be constructed within the Indrawati Tiger Reserve or Forest area.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-30
31.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है अनुसंलग्नक-31

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

अतः कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न:- संलग्नक 1 से 31 तक

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध (ए)/115- 870/ 176

रायपुर, दिनांक 19/01/2024

०९.पि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, जगदलपुर।
3. वन मंडलाधिकारी, बीजापुर वन मंडल, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
4. उप निदेशक, इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन के चेप्टर 4 पैरा 12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन की शर्त पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 27.12.2023 में राज्य शासन द्वारा अधिरोपित समस्त 1 से 31 शर्तों का पालन किया जायेगा। यह अनुमति एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। प्रकरण में किसी भी वृक्ष का विदोहन नहीं किया जायेगा।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़